प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-306/2025 दिनांक 02.11.2025)
दिनांक-02.11.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

25 हजार रुपये ईनामिया पशु तस्कर थाना अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत पुलिस मुठभेड़ में घायल, अवैध शस्त्र व मोटरसाइकिल बरामदः-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01/02.11.2025 की रात्रि में थाना अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत पशु तस्कर के होने की सूचना प्राप्त हुयी। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसमें थाना अहिरौली बाजार, थाना कप्तानगंज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत अहिरौली-बोदरवार मार्ग पुलिया के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आते दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति द्वारा लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी, जिससे व्यक्ति के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। अभियुक्त की पहचान राकेश कुशवाहा पुत्र छोटन कुशवाहा निवासी तरया लछिराम टोला मछार थाना तरयासुजान के रुप में हुयी है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। मौके/कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल,900 रुपये नगद आदि बरामद किया गया है।
घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को दवा ईलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त राकेश कुशवाहा थाना अहिरौली बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-264/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में वांछित था तथा उस पर 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्त पशु तस्करी में सम्मलित था।

Edit with WPS Office

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त-
1. राकेश कुशवाहा पुत्र छोटन कुशवाहा निवासी तरया लछिराम टोला मछार थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर (घायल)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-
1.मु0अ0सं0-264/2024 धारा 3/5A/8/ गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर(वांछित)
2.मु0अ0सं0-05/2024 धारा 3/5A/8/5 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
3.मु0अ0सं0-94/2024 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
4.मु0अ0सं0-698/2023 धारा-279/304ए भादवि व 184 एमवी एक्ट थाना हाटा जनपद कुशीनगर
5.मु0अ0सं0-706/2023 धारा-307 भादवि धारा 3/5A/8/ गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना हाटा जनपद कुशीनगर
6.मु0अ0स0-340/2024 धारा 125ए/125बी/281/324(4) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगीः-
1.एक अदद तमन्चा 315 बोर
2.एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3.एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4.एक अदद मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट
5.900 रुपये नगद

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
1-निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद कुशीनगर मय टीम
2-प्रभारी निरीक्षक श्री संजय दूबे थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर मय टीम
3-प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रभूषण प्रजापति थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर मय टीम

थाना जटहांबाजार पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा, हत्यारोपी पुत्र को किया गया गिरफ्तार-

Edit with WPS Office

थाना जटहांबाजार क्षेत्रांतर्गत दिनांक 31.10.2025 को वादी रामा यादव पुत्र सूर्यदेव यादव साकिन हसना थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे चाचा योगेन्द्र यादव द्वारा मेरी दादी जी की हत्या कर दी गयी है। सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना जटहांबाजार पर मु0अ0सं0 163/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत कराते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण/अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु में टीमें गठित कर निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में थाना जटहांबाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.11.2025 को अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 सरवन यादव साकिन हसना थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का कारण-

पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक के दादा सरवन यादव की शादी सुगिया देवी (मृतका) से हुई थी। सुगिया देवी अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं, जिसके कारण उनके पिता रघुनाथ यादव की समस्त संपत्ति वरासत के रूप में सुगिया देवी को प्राप्त हुई।मृतका सुगिया देवी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बड़ी बहू कुसमावती देवी (पत्नी सुर्यदेव यादव) को दानपत्र द्वारा हस्तांतरित कर दी थी। शेष बची कुछ जमीन को भी मृतका बयनामा द्वारा कुसमावती देवी के नाम करना चाहती थीं। इसी संपत्ति को लेकर अभियुक्त योगेन्द्र यादव तथा उसके बड़े भाई सुर्यदेव यादव के परिवार के साथ लंबे समय से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते अभियुक्त ने मृतका सुगिया देवी की हत्या कर दी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 163/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 सरवन यादव निवासी हसना थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थानाध्यक्ष श्री आलोक यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 देवब्रत यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3-उ0नि0 आशुतोष जायसवाल थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
4-कां0 सर्वेश कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

5-कां0 जगदीश प्रजापति थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 19 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-02, ई-चालान-38 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-56, व्यक्ति-193
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-21)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office